

भारत सरकार  
पंचायती राज मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या +3788  
दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ

## हिमाचल प्रदेश में आरजीएसए

+3788. डॉ. राजीव भारद्वाज़:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत कितना व्यय होना प्रस्तावित है और संघ और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की प्रस्तावित प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है;
- (ख) हिमाचल प्रदेश में इस अभियान के तहत अब तक प्रशिक्षित लोगों की जिले-वार संख्या कितनी है; और
- (ग) अभियान के विस्तार के बाद कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा?

## उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 5911 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2211 करोड़ रुपये शामिल है। राज्य घटकों के लिए वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लिए यह अनुपात 90:10 है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र का हिस्सा 100% है।

(ख) और (ग) प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में संस्थान-वार/जिला-वार प्रशिक्षित प्रतिभागियों की जानकारी **अनुलग्नक - I** में दी गई है। यह योजना स्वाभाविक रूप से मांग आधारित है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत और आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अनुमोदित संबंधित वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) सहित विभिन्न घटकों के लिए हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की गई है।

\*\*\*

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3788, जिसका उत्तर दिनांक 12/08/2025 को दिया जाना है, के  
भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षित प्रतिभागियों का संस्थान-वार  
/जिलावार विवरण (07.08.2025 तक)

| क्र. सं.   | संगठन का नाम   | प्रशिक्षित प्रतिभागी<br>(2022-23 से 2025-26)* |
|------------|--|---|
| 1          | राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी)                       | 829   |
| 2          | पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा (क्रेगनेनो) शिमला       | 9063  |
| 3          | पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ कांगड़ा                 | 8044  |
| 4          | पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान थुनाग मण्डी                    | 7095  |
| 5          | डीपीआरसी** (जिला पंचायत - चम्बा)                             | 21898   |
| 6          | डीपीआरसी (जिला पंचायत-कुल्लू)                                | 11260   |
| 7          | डीपीआरसी (जिला पंचायत-बिलासपुर)                              | 12832   |
| 8          | डीपीआरसी (जिला पंचायत-हमीरपुर)                               | 18509   |
| 9          | डीपीआरसी (जिला पंचायत - कांगड़ा)                             | 43834   |
| 10         | डीपीआरसी (जिला पंचायत - किन्नौर)                             | 4374  |
| 11         | डीपीआरसी (जिला पंचायत - लाहौल और स्पीति)                     | 2065  |
| 12         | डीपीआरसी (जिला पंचायत-मंडी)                                  | 28881   |
| 13         | डीपीआरसी (जिला पंचायत-शिमला)                                 | 15761   |
| 14         | डीपीआरसी (जिला पंचायत-सोलन)                                  | 10184   |
| 15         | डीपीआरसी (जिला पंचायत - ऊना)                                 | 16522   |
| 16         | डीपीआरसी (जिला पंचायत-सिरमौर)                                | 17271   |
| 17         | ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (मध्यवर्ती पंचायत- सुजानपुर तीरा) | 0   |
| <b>कुल</b> |  | <b>2,28,422</b>                               |

\*आज की तिथि के अनुसार

\*\*डीपीआरसी: जिला पंचायत संसाधन केंद्र